वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोडला ब्लाक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो के वन भूमि रकबा 3.579 हे. (आरक्षित वन भूमि रकबा 1.760 हे. एवं संरक्षित वन भूमि रकबा 1.819 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 3.579 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 06/10/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

PART – IV

(To be completed by the Chief Wild Life Warden within 15 days of the receipt PART-II and Part-III)

1.	Date of Receipt Part –II & Part-III by the Chief Wild life Warden or the officer authorized by him in this regard	-
2	Do you agree with the information and recommendations provided by the Officer-in-Charge in PART-III?	Yes
3	If not, Please Provide the reasons	-
4	Have you visited the site yourself and held discussions with the applicant?	—
5	Do you agree that the present proposal for permitting use of NP/WLS area is the best option or the only option, and is viable?	Yes. It is only option.
6	Whether the proposal sub-judice? If yes, give details.	N.A.
7	Please Provide specific comments w.r.t. Section 29 of the Wild Life (Protection) Act, 1972	Inside Bhoramdeo Wildlife Sanctuary
8	Any other information that you would like to bring to the notice of the state Board for Wildlife, National Board for Wildlife or its Standing Committee that may be relevant and assist in decision making	Permission granted by State Board of Wildlife meeting held on 21.06.2021.
9	Do you recommend the project?	Yes
10	Conditions, if any to be ensured in the interest of protection and conservation of wildlife for allowing use of the area?	Yes. conditions to be followed are enclosed as Annexure-I

Signed by
The chief Wildlife Warden
Name - P. V. Narsinga Rao
Official seal
Date of submission to the state Govt.
Principal Chief Conservator of Forest
(Wild Life)
Chhattisgarh, Atal Nagar, Raipur

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–831/2398 रायपुर, दिनांक 13/10/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bhoramdeo Sanctuary, Kawardha Forest Division "Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 3.579 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43124/ 2019

संदर्भ:– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व. प्रा./ प्रबंध–523 / 4158 दिनांक 12.09.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व. प्रा./ प्रबंध–523 /4575 दिनांक 05.10.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43124/2019 आबंटित किया गया है।	2–2ए
3.	**वन क्षेत्र का विवरण:–** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु आवश्यक है।	3–4

4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**— आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में 2.005 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रहा है।	5
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः**— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	6—7
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः**— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	8—13
7..	**प्रपत्र—4 में प्रस्तावः**— प्रपत्र — 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2 करोड़ 00 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	14—21
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः**— कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट—ऑफ—वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. वन भूमि प्रस्तावित किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	22—24
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः**— कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट—ऑफ—वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है।	25
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः**— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	26
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः**— कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट—ऑफ—वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए रकबा 3.579 हे. वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रपत्र—3 पर वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 23.12.2020 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर ने वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	27—40
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्रः**— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	41

13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र–** संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	42–45
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:** – कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हेक्टेयर है।	46
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** कबीरधाम जिले के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत कुल 18 स्वीकृत प्रकरणों में 1240.00 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	47
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** व.स.अ.–1980 तहत कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा 0.723 हे. है।	48
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	49
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 03.12.2019 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	50–52
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नही हो रही है। अतः कलेक्टर जिला कबीरधाम के पत्र क्रमांक 1544 दिनांक 03.12.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	53–55
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** आवदेक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/– रूपये एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/– रूपये इस प्रकार कुल राशि 24000/– रूपये वन मंडलाधिकारी, कवर्धा वन मंडल के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	56
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा की सीमा के अंदर गुजर रहा है। इस हेतु परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध–523/4158 दिनांक 12.09.2023 से अनुशंसा की गई है।	57
22.	**1. प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी:–** प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 3.579 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वन मंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरौण्डाबाजार में समतुल्य राजस्व भूमि रकबा 3.579 हे. का	

	डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ 02 प्रतियों में संलग्न है। **2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की जानकारीः—** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 3.579 हे. वन भूमि में केबल बिछाने के कार्य हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु जो भी दिशा निर्देश जारी किया जावेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा मान्य होगा जिसका वचन पत्र संलग्न किया गया है।	

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 01 प्रति में मय डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—
1. प्रस्ताव 01 प्रति में
2. डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रस्ताव
3. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
4. भाग–4
5. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–831/2399 रायपुर, दिनांक 13/10/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (वन्य प्राणी), अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक** (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र निदेशक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर, छत्तीसगढ़
3. **वनमंडलाधिकारी,** कवर्धा वनमंडल, कवर्धा, छत्तीसगढ़।
4. **अधीक्षक,** भोरमदेव अभ्यारण्य, कबीरधाम, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़।
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़